



GOVERNMENT OF HARYANA/ हरियाणा सरकार  
**LABOUR DEPARTMENT / श्रम विभाग, हरियाणा**

उत्पादन एवं न्याय  
Productivity with Social Justice  
LABOUR DEPARTMENT HARYANA  
श्रम विभाग, हरियाणा  
शांति, समजस्य एव सुर्या  
Peace, Harmony and Safety

LABOUR WING/ श्रम शाखा

1402 (R-1217) /PO-Gurgaon 1-190/GGN-404/LOGGN-2/81/NG-1227/2014

**आदेश**

चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि M/s Magsons Exports, Plot No. 41-42, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon के श्रमिक श्री Amit Kumar, S/o Sh. Deepak Prasad C/o Sh. Retu Singh, C-23, First Floor, Back Side, Haus Khas, New Delhi तथा उसके प्रबंधकों के मध्य कोई औद्योगिक विवाद है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय Gurgaon 1 को नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं क्योंकि उक्त प्रबंधकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है।

क्या श्रमिक श्री Amit Kumar की सेवा समाप्ति न्यायोचित है अथवा नहीं? यदि नहीं तो श्रमिक किस राहत का हकदार है?

अतः प्रबंधकों एवं श्रमिक को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह उक्त न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 23-Mar-2015 को उपस्थित हों।



दिनांक : 22-Jan-2015  
5724-29  
16/1/15

अरुण कुमार गुप्ता,  
सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक / आई0डी0 / 1402/GGN/404/ LOGGN-2/ 81/ 2014/

- एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-
1. अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय Gurgaon 1 को मांगपत्र दिनांक Nil की प्रति सहित।
  2. M/s Magsons Exports, Plot No. 41-42, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon

3. श्री Amit Kumar, S/o Sh. Deepak Prasad C/o Sh. Retu Singh, C-23, First Floor, Back Side, Haus Khas, New Delhi

4. उप श्रम आयुक्त Gurgaon / सहायक श्रम आयुक्त Gurgaon-2
5. आंकड़ा अधिकारी, श्रम विभाग।

कृते: सचिव, हरियाणा सरकार  
श्रम विभाग